न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 05/2018 (प्रा0प0)
दायर दिनांकः– 11/01/2018
निर्णय दिनांकः– 26/06/2019

अनवान

1. ग्राम पंचायत गिलुण्ड जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गिलुण्ड तह0–रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द
02. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम गिलुण्ड में पुराने बिलानाम आराजी नम्बर 376 कुल रकबा 09–09 व आराजी नम्बर 373 रकबा 02–11 एवं आराजी नम्बर 378 रकबा 03–05 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था जिसके साक्ष्य हेतु प्रमाण में महकमे बंदोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की जमाबन्दी साथ संलग्न है। पुराने नम्बर 376 रकबा 09–09 बीघा में से अपखण्ड (अलग) होकर आराजी नम्बर 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 376/5, 376/6, 376/7, 3768/8, 376/9, 376/10 कुल रकबा 06–19 बीघा आबादी मजरा रगपुरिया के नाम से आबादी में दर्ज हुई तथा शेष रकबा 376 का 02–10 बीघा बिलानाम काबिल काश्त यथावत दर्ज हुआ। पुराने आराजी नम्बर 373 कुल रकबा 02–11 बीघा में से अपखण्ड रकबा 00–04 बीघा आबादी दर्ज हुई तथा आराजी नम्बर 378 रकबा 03–05 बीघा में से अपखण्ड होकर 01–04 बीघा आबादी मे दर्ज हुई। जिसकी साक्ष्य में भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान तथा पुराना राजस्व नक्शा संलग्न है। पुराने नम्बर 376, 373 व 378 का

सहायक कलक्टर

राजस्व नक्शा व वर्तमान आराजी नम्बर 3134 एवं 3115 का राजस्व नक्शा इस प्रकरण शुद्वि का अभिन्न अंग है। पुराने आराजी नम्बरों से बनने वाले नये आराजी नम्बर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुए प्रार्थना पत्र में सारणी अंकित है। साक्ष्य में भू–प्रबन्ध विभाग का मिलान खसरा संलग्न है। पूर्व में कुल आबादी का रकबा 08–07 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था तथा पूर्व में माप हेतु जरीब 152.6 फिट थी तथा वर्तमान में माप हेतु जरीब 132 फिट पर राजस्व नक्शा एवं राजस्व रेकार्ड संधारित है। भू–प्रबन्ध द्वारा पूर्व में दर्ज रकबा 08–07 बीघा का तुलनात्मक परिवर्तित रकबा 10–17 बीघा वर्तमान में दर्ज करना चाहिये था जो कि दर्ज नही कर वर्तमान आबादी आराजी नम्बर 3134 रकबा 07–09 बीघा ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार 03–08 बीघा कमी रकबा दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत गिलुण्ड के आवेदन पर उपतहसीलदार महोदय गिलुण्ड के आदेशानुसार ग्राम गिलुण्ड के मजरा रगसपुरिया की आबादी वर्तमान आराजी नम्बर 3134 का सीमांकन पटवार हल्का गिलुण्ड एवं भू अभिलेख निरीक्षक गिलुण्ड द्वारा माप किया गया जिसका मौका पर्चा इस प्रकरण का अभिन्न अंग है व मौके पर्चे के अनुसार वर्तमान आराजी नम्बार 3134 का रकबा राजस्व रेकार्ड में 07–09 बीघा दर्ज है तथा आबादी सीमाओं का रकबा भी 07–09 बीघा ही बनता है जबकि गत रकबे 08–07 बीघा की तुलना में 10–17 बीघा होना चाहिये था उक्त आबादी रकबें में 03–08 बीघा कम दर्ज किया गया है जबकि मौके पर सम्पूर्ण रकबा आबादी का ही भाग है व मौके पर भी रगसपुरिया की आबादी है। यह कमी रकबा वर्तमान में आराजी नम्बर 3134 की पूर्व दिशा के साथ का क्षेत्र है तथा वर्तमान बिलानाम आराजी नम्बर 3115 का पश्चिमी अपखण्ड भाग है। इसको नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान आराजी नम्बार 3115 बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बार 376 मीन रकबा 06–19 बीघा से बना है। ताईद में भू प्रबन्ध का मिलान खसरा साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व रेकार्ड की जांच करने के दौरान आबादी रकबें में कमी होने एवं मौके पर विवाद की स्थिति होने से उक्त रकबें में शुद्विकरण करने हेतु आज से करीब 01 माह पूर्व कहा गया तो विपक्षीगण ने उक्त शुद्विकरण करने से मना करने से उक्त प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि गत आबादी क्षैत्रफल 08–07 बीघा की तुलना में बनने वाले रकबे की जगह शुद्विकरण कर वर्तमान में 10–17 बीघा दर्ज किया जावें व आबादी का कमी रकबा बिलानाम आराजी नम्बर 3115 के कुल रकबें में से 03–08 बीघा आबादी दर्ज करने का आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण पेराकार सरकार ने पटवारी रिपोर्ट को ही जवाब मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने की अनुशंषा की गयी है। पटवारी हल्का गिलुण्ड की रिपोर्ट दिनांक 15/06/2018 अनुसार वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर 3134 का रकबा 07–09 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर भी उक्त आराजी नम्बर 3134 का रकबा 07–09 बीघा ही बनता है। ग्राम पंचायत के द्वारा सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी प्रस्तुत की जिसके अनुसार पुराने आराजी नम्बर 376 मुल खसरा नम्बर से आबादी का रकबा 06–19 बीघा तथा आराजी नम्बर 373 मुल आराजी नम्बर से रकबा 00–04 बीघा तथा आराजी नम्बर 378 मूल आराजी नम्बर से रकबा 01–04 बीघ शामिल होकर क वर्तमान आबादी आराजी नम्बर 3134 बना है। इस प्रकार पूर्व में आबादी का रकबा 08–07 बीघा था। पूर्व आबादी का रकबा 08–07 बीघा का परिवर्तित रकबा 10–17 बीघा बनता है। जिसकी तुलना में वर्तमान आराजी नम्बर 3134 का रकबा 07–09 बीघा दर्ज है तथा आबादी की सीमाएं भी इतने ही रकबे पर है। पूर्व रकबे की तुलना में 03–08 बीघा रकबा आबादी मे कम दर्ज हुआ है, यह कम दर्ज हुआ रकबा वर्तमान दर्ज आबादी आराजी नम्बर 3134 के पूर्वी दिशा के साथ–साथ आबादी क्षैत्र है, जिसका आराजी नम्बर 3115 बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। अतः आराजी नम्बर 3115 रकबा 11–10 बीघा में से ग्राम रगसपुरिया को आबादी के लिए रकबा 03–08 बीघा मिला दिया जाये तो सेटलमेंट से पूर्व के बराबर गांव की आबादी का रकबा हो जायेगा।

इस पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड गत एवं वर्तमान जमाबन्दियों, भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग का मिलान खसरा, पटवारी मौका पर्चा दिनांक 18.11.2017 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 15/06/2018 का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि पुराने आराजी नम्बर 376 मुल खसरा नम्बर से आबादी का रकबा 06–19 बीघा तथा आराजी नम्बर 373 मुल आराजी नम्बर से रकबा 00–04 बीघा तथा आराजी नम्बर 378 मूल आराजी नम्बर से रकबा 01–04 बीघ शामिल होकर क वर्तमान आबादी आराजी नम्बर 3134 बना है। इस प्रकार पूर्व में आबादी का रकबा 08–07 बीघा था। पूर्व में जरीब 152.5 फिट की थी जबकि वर्तमान में जरीब 132 फिट की काम में आ रही है। जिस पर वर्तमान राजस्व नक्शा बनाा है। पूर्व आबादी का

रकबा 08—07 बीघा का परिवर्तित रकबा 10—17 बीघा बनता है। जिसकी तुलना में वर्तमान आराजी नम्बर 3134 का रकबा 07—09 बीघा दर्ज है जो पूर्व रकबे की तुलना में 03—08 बीघा रकबा आबादी मे कम दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से अपना प्रार्थना पत्र सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम गिलुण्ड के आराजी नम्बर 3115 रकबा 11—10 बीघा किस्म रास्ता 01—15, बंजड 09—15 बीघा भूमि में से रास्ता की भूमि को छोडकर रकबा 03—08 बीघा भूमि को आराजी संख्या 3134 में सम्मिलित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

26/6/19

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा